

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक- 5467/मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, जून, 23- 2022

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय-

जनपद-सोनमठ में रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत में कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 3.79 हे. वन भूमि को पूर्व में आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि0 तथा वर्तमान में मे0 शासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी उपयोग हेतु करते हुए प्रस्तुत किये गये ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/19811/2016 के संबंध में

संदर्भ-

विशेष सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक- 03.02.2021 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त संबंधी उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- 219/81-2-2021-800(26)/2017 लखनऊ दिनांक- 05.02.2021 तथा आपका पत्रांक- 1990/11-सी, लखनऊ दिनांक- 12.02.2021

महोदय

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक- 05.02.2021 द्वारा यह निर्देशित किया गया कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 एवं वन (संरक्षण) नियमावली 2003 की (गाइड लाइन एवं क्लीरिफिकेशन) के चैप्टर-5 के प्रस्तर- 5.2 एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक- 29.01.2018 के अनुसार प्रकरण का परीक्षण कर Ex-Post Facto के अन्तर्गत प्रस्ताव उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाय। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र सं0 3859/रेनुकूट/15-300 दिनांक 04.06.2022 (छाया प्रति संलग्न है) द्वारा यह उल्लेख किया है कि संस्थान द्वारा भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर वर्ष 2016 में अपलोड किये गये ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/19811/2016 को उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार संस्थान द्वारा अद्यतन अभिलेख अपलोड किया गया, जिसे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी को अवगत कराया गया। उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 एवं वन (संरक्षण) नियमावली 2003 की (गाइड लाइन एवं क्लीरिफिकेशन) के चैप्टर-5 के प्रस्तर- 5.2 एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक- 29.01.2018 के अनुसार Ex-Post Facto के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त 3.79 हे0 वन भूमि के मे0 शासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव की चार प्रति इस इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत के संबंध में प्रेषित उपरोक्त प्रस्ताव संस्तुति सहित एतद् सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
सं0- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या- 5467 अ/समदिनांकित

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट को उनके कार्यालय के पत्र सं0-3859 /रेनुकूट/ 15-300 दिनांक 04.06.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9/

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

भाग-III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद-सोनमद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत में, कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 3.79 हे. वन भूमि को पूर्व में आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि० तथा वर्तमान में मे० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी उपयोग हेतु करते हुए प्रस्तुत किये गये ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या- **FP/UP/Others/19811/2016** के संबंध में

14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे	नहीं।
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारशें।	प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा भाग-II में उल्लिखित कि मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. द्वारा प्रश्नगत वन भूमि को मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि० के पक्ष में हस्तान्तरण से पूर्व उ०प्र० शासन से अनुमति प्राप्त किया जाना था जो कि नहीं किया गया। चूंकि प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग वर्तमान में मे० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट द्वारा समान प्रयोजन हेतु किया जा रहा है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में उ०प्र० शासन के शर्त-1 का उल्लंघन किये जाने के कारण नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करने हेतु सस्तुति की जाती है।

दिनांक 28.06.2022

स्थान-मीरजापुर

हस्ताक्षर

मुख्य वन संरक्षक

नाम मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर

सरकारी मोहर